

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 60/19 ता० रजु. 18-09-19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 24-04-19

सरकार

बनाम

बाबू पुत्र बलजीत जाति जाट नि० खेडली गडसिया

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खेडली गडसिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खेडली गडसिया के खसरा न० 1721 रकवा 3.03 हैक्ट में से रकवा 0.24 हैक्ट किस्म भूमि भारतवाट पर सम्वत 2076 में श्री बाबू पुत्र बलजीत जाति जाट नि० खेडली गडसिया तह० बयाना ने यज्ञ की फसल को अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भारतवाट भूमि पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण किया जाना साबित होता है अतः अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1721 रकवा 0.24 हैक्ट वाके ग्राम खेडली गडसिया से बेदखल किया जाता है। लगान 3.84 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 192/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

इस बयाना की वाग सानवा
वा. जे. सं. 04 के पंज नं. 11/19
दिनांक 11/19 को वर्ष 2019-20
पैन्ल्टी रु. 192 फसल नीलामी
का जा चुको है।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना